लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
033/2025(सू.अ.) (GCMS 2025/120)	08-05-2025	10-06-2025

अनवान

चुन्नीलाल पूर्बिया पिता हीरालाल पूर्बिया निवासी 30-ए एकलिंग कॉलोनी, हिरण मगरी सेक्टर नंबर 3 उदयपुर जिला उदयपुर (मोबाईल 9461179950)

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

-:: निर्णय ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 25.11.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन से प्राप्त सूचना से असंतुष्ठ होने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील लोक सचूना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन को प्रस्तुत की गई जो कि अंतरित होकर इस न्यायालय का प्राप्त हुई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./033/2025(सू.अ.) (04.06.2025)/349 दिनांक 08.05.2025 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना-पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 04.06.2025 अपील अपीलार्थी स्वयं हाजिर आये एवं लिखित अभिवचन प्रस्तुत किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) से कोई लिखित अभिवचन/बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्राप्त नहीं हुये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया, तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प. 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार हैं, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हैं या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल हैं, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी को अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2024 के संबंध में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन द्वारा कार्यालय रिकार्ड अनुसार उपलब्ध सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है, जिसे अपीलार्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन–पत्र दिनांक 25.11.2024 का विधि अनुसार निस्तारण किया जाना प्रतिवेदित होता है, अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होना पाया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक के आवेदन–पत्र दिनांक 25.11.2024 जो कि सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत किया गया बाबत् सारहीन होने से खारीज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **10.06.2025** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official